



परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्र सं०: 1267सीएचक्यू/10

दिनांक: 31 मई, 2010

- 1- समस्त, क्षेत्रीय प्रबंधक/सेवा प्रबंधक
उ०प्र० परिवहन निगम।
- 2- समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक,
डिपो/वित्त/कार्मिक/प्राविधिक,
उ०प्र० परिवहन निगम।

विषय: बिना पूर्वानुमति तैनाती स्थान से बाहर न जाने के सम्बन्ध में।

प्रायः यह देखने में आता है कि क्षेत्रों/डिपो में तैनात विभिन्न अधिकारी बिना पर्याप्त कारण के अपना तैनाती का स्थान छोड़कर चल जाते हैं और प्रायः निगम मुख्यालय में भी औपचारिकतावश आ जाते हैं। यह रिश्ता ठीक नहीं है। अप्रैल-10 से 31 जुलाई-10 तक का समय निगम संचालन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है तथा इस अवधि में सभी अधिकारियों से अपेक्षा होती है कि वह अपने तैनाती स्थान पर उपलब्ध रहकर संचालन प्रतिफलों में सुधार लायें तथा प्रवर्तन कार्यों की स्वयं देख-भाल करें।

अतः एतद्वारा निर्देश दिये जाते हैं कि बिना अधोहस्ताक्षरी की पूर्वानुमति के आप अपने तैनाती के स्थान/कार्यक्षेत्र छोड़कर कहीं नहीं जायेंगे और यदि जाना अपरिहार्य हो जाता है तो अधोहस्ताक्षरी से दूरभाष पर अनुमति प्राप्त करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का अतिक्रमण करके अपने कार्यस्थल पर न रहने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(सत्यजीत ठाकुर)
प्रबन्ध निदेशक

समसंख्यक/समदिनांकित:

उपरोक्त परिपत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य प्रधान प्रबंधक(प्रशा०/संचा०/प्रावि०), निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 2- समस्त प्रधान प्रबंधक/नोडल अधिकारी, निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 3- निजी सचिव, अपर प्रबंध निदेशक, निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(सत्यजीत ठाकुर)
प्रबन्ध निदेशक